मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– ।।/प्र0–05–282/2022 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

ई0 खलीकुज्जमा,
मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **पटना।**

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **पटना** के अधीन **शीर्ष 3054 गरम्मति (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018)** अन्तर्गत कुल **02 (दो)** योजनाओं का **पथ गरम्मति एवं पॉच वर्षीय रख–रखाव** कार्य के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक **190** अनु0 दिनांक **30.01.2024**

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल **02 (दो)** अदद पथ का प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि क्रमशः परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
4. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगें।
5. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल /पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
6. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अचंल, **पटना** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
9. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
10. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **पटना** के अधीन शीर्ष **3054 मरम्मति (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018)** प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत योजनाओं की सूची:–

क्र0 सं0	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (मूल कार्य, अनुरक्षण कार्य एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में	तकनीकी स्वीकृति की राशि (मूल कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Sampatchak, Lakshmichak RCC Pul Ke Najdik Se Chipura Kala Mahadalit Tola	3.095	**Letter N0-391 Date-29.01.24**	216.108	198.82
	Block-Patna Sadar, Old NH-31 To Pakki Dargaah Via Kachhi Dargaah Pipra Pul Ghat Ganga Kinare Tak	0.660	**Letter N0-390 Date-29.01.24**	86.925	78.74

अनु0– स्वीकृत प्रावकलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन
ह0/–
मुख्य अभियंता–1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

ज्ञापांकः– 486 अ० पटना, दिनांकः– 31/01/24

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **पटना** को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/24

मुख्य अभियंता–1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Scanned with CamScanner